राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर
राजेश बनाम अनिल

तारीख हुक्म	1667/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/12/2025	प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन पर शीघ्र सुनवाई पर आज यह पत्रावली कार्यालय से तलब होकर पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। रेस्पो. संख्या 4 की और से अधिवक्ता श्री हेमन्त दीक्षित ने वकालतनाम पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई पर अधिवक्ता उभयपक्ष को सुना गया। उद्धरित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19/07/2024 निरस्त करते हुये दोनों पक्षों को सुनकर एक माह में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिये जाने का निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी सहमति जाहिर की। चूँकि दोनों पक्षों द्वारा अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को एक माह में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर निस्तारण किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित पर अपनी सहमति जाहिर की है। अत: प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किये बगैर मात्र उभयपक्षों की सहमती के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19/07/2024 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुती का अवसर प्रदान करते हुये बाद सुनवाई उभयपक्षकारान एक माह में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विधिसम्मत निस्तारण करे। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 22/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	